रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2009/चैत्र 9, 1931
No. 43] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2009/CHAITRA 9, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सं. एल-1(1)/2009-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा सभी पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम 1-4-2009 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं तथा निर्वचन**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) समय-ब्लॉक में, "वास्तविक निकासी" से इंटरफेस मीटरों द्वारा मापी गई, यथास्थिति, फायदाग्राही या विक्रेता द्वारा ली गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ग) समय-ब्लॉक में, "वास्तविक उत्पादन" से इंटरफेस मीटरों द्वारा मापी गई, यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा उत्पादित या प्रदाय की गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(घ) "फायदाग्राही" से उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत को क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ड.) "विक्रेता" से निर्बाध पहुंच, मध्यकालीन पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए लागू आयोग के विनिमयों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से, फायदाग्राही के सिवाय, विद्युत क्रय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(च) "उत्पादन केंद्र" से ऐसा केंद्र अभिप्रेत है जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है ;

(छ) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है ;

(ज) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(झ) "इंटरफेस मीटर" से ऐसे इंटरफेस मीटर अभिप्रेत है जो समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों को लगाना तथा प्रचालन) विनियम, 2006 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित है ;

(ञ) "भार प्रेषण केंद्र" से ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार उत्पादन केंद्र के अनुसूचीकरण का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी, यथास्थिति, राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है ;

(ट) किसी समय या किसी अवधि या समय-ब्लॉक पर "अनुसूचित उत्पादन" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच में उत्पादन अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) किसी समय या किसी अवधि या समय-ब्लॉक पर "अनुसूचित निकासी" से संबंधित भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई मेगावाट या एमडब्ल्यूएच में उत्पादन अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ढ) "क्रेता" से उत्पादन केंद्र के सिवाय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्बाध पहुंच, मध्यकालिक पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत प्रदाय करता है ;

(ध) "समय-ब्लॉक" से प्रत्येक 15 मिनट का ब्लॉक अभिप्रेत है जिसके लिए विनिर्दिष्ट विद्युत पैरामीटरों तथा मात्राओं का अभिलेख 00.00 घंटे पर आरंभ होने वाले पहले समय ब्लॉक के द्वारा अभिलखित किया जाता है ;

(ण) उत्पादन केंद्र या क्रेता के लिए समय-ब्लॉक में "अननुसूचित विनिमय" से वास्तविक उत्पादन माइन्स उसका अनुसूचित उत्पादन अभिप्रेत है तथा फायदाग्राही या विक्रेता के लिए उसकी कुल वास्तविक निकासी माइनस उसकी कुल अनुसूचित निकासी अभिप्रेत है ।

(2) यथा पूर्वोक्त के सिवाय तथा जब तक कि संदर्भ या विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम, या ग्रिड कोड या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम या ग्रिड कोड या केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 में है ।

3. <u>उद्देश्य</u>

इन विनियमों का उद्देश्य विद्युत की अनुसूचीकरण, प्रेषण तथा निकासी में ग्रिड के प्रयोक्ता के नियंत्रण के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभारों के वाणिज्यिक तंत्र के माध्यम से ग्रिड कोड के अधीन यथा परिकल्पित ग्रिड अनुशासन को बनाए रखना है ।

4. <u>विस्तार</u>

विनियम निम्नलिखित को लागू होंगे -

(i) उत्पादन केंद्र तथा फायदाग्राहियों ; तथा
(ii) विद्युत के अंतर-राज्यिक संव्यवहार में निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक पहुंच या दीर्घ-कालिक पहुंच के माध्यम से सुकर संव्यवहारों में सम्मिलित क्रेता तथा विक्रेता ।

5. अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार

जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.3 एच जेड तथा 49.2 एचजेड तक के बीच हो, सभी समय ब्लॉकों के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार क्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अंडर-इंजेक्शन तथा क्रेता या फायदाग्राही द्वारा अंडर-निकासी के लिए प्राप्य तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अधिक इंजेक्शन के लिए संदेय होंगे तथा नीचे दी गई दरों पर समय-ब्लॉक की औसत फिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे: -

समय-ब्लॉक की औसत फ्रिक्वेंसी (एच जेड)		यूआई दर
निम्नलिखित से नीचे	निम्नलिखित से कम नहीं	(पैसे प्रति केडब्ल्यूएच)
----	50.30	0
50.30	50.28	12
50.28	50.26	24
---	---	---
---	---	---
50.04	50.02	168
50.02	50.00	180
50.00	49.98	192
---	---	---
---	---	---
49.52	49.50	480
49.50	49.48	497
49.48	49.46	514
---	---	---
---	---	---
49.24	49.22	718
49.22	49.20	735

(प्रत्येक 0.02 एच जेड स्टेप 50.3-49.5 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 12.0 पैसे/के डब्ल्यू एच तथा 49.5-49.2 एच जेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 17.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)

परंतु यह कि ईंधन के रूप में केवल कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) गैस का उपयोग करने वाले ऐसे सभी उत्पादित केंद्रों के लिए अननुसूचित विनिमय दर 408 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच (यूआई कैप दर) तक सीमित की जाएगी, यदि जब वास्तविक

उत्पादन 50.03 एचजेड तथा 49.2 एचजेड तक फ्रिक्वेंसी रेंज में अनुसूचित उत्पादन अधिक हो जाता है या उससे कम हो जाता है ।

टिप्पण: अननुसूचित विनिमय प्रभारों, जिसमें यूआई कैप दर भी सम्मिलित है, का पुनर्विलोकन छह मासिक आधार पर या उससे पहले किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, समय-समय पर पृथक आदेशों के माध्यम से पुनरीक्षित किया जाएगा ।

6. घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करना

(1) समय-समय पर यथासंशोधित ग्रिड कोड तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंध क्षमता की घोषणा, अनुसूचीकरण तथा गेमिंग समाप्त करने के लिए लागू होंगे ।

(2) उत्पादन केंद्र ग्रिड कोड के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अंतिम रूप से तैयार डे-एहेड उत्पादन अनुसूची के अनुसार विद्युत उत्पादित करेगा:

परंतु यह कि प्रचालन दिन पर उत्पादन अनुसूची का पुनरीक्षण ग्रिड कोड के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) 15 मिनट के किसी समय-ब्लॉक में घोषित क्षमता के 105% तक तथा दिन की समाप्ति पर औसत घोषित क्षमता के 101% तक के औसत तक हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी उत्पादन को गेमिंग के रूप में नहीं समझा जाएगा तथा उत्पादन केंद्र अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यूआई प्रभारों के लिए हकदार होगा ।

(4) विनिर्दिष्ट सीमा से परे हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी उत्पादन के लिए, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अन्वेषण करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई गेमिंग नहीं है । उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय प्रभारों की वसूली के लिए केवल तब हकदार होंगे यदि अन्वेषण से यह साबित हो जाता है कि कोई गेमिंग नहीं है । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केंद्र को संदेय तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी अपनी क्षमता के अनुपात में समायोजित किया जाएगा ।

(5) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से यह प्रत्याशा की जाती है ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव में अपना प्रत्युत्तर दें । हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी गई अनुसूची में गेमिंग में सम्मिलित हुए बिना तथा ग्रिड अवरोधों के कारण परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा संपूर्ण दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) द्वारा वास्तविक कुल ऊर्जा प्रदाय के बीच अंतर के लिए प्रतिभार संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन जमा 3) की डे-एहेड अनुसूची में से दिया जाएगा । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन कंपनी को संदेय तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी क्षमता हिस्सेदारी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा ।

7. यू आई मात्रा (वाल्यूम) की सीमा

(1) समय-ब्लॉक के दौरान किसी फायदाग्राही या क्रेता द्वारा अनुसूची से विद्युत की अधिक निकासी जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच जेड से कम है, अनुसूचित निकासी या 150 मेगावाट (जो भी कम हो) के 12% से अधिक नहीं होगी तथा दैनिक कुल आधार पर 3% होगी ।

(2) समय-ब्लाक के दौरान किसी उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा अनुसूची से विद्युत का अंडर-इंजेक्शन ऐसे उत्पादन केंद्र या विक्रेता के अनुसूचित इंजेक्शन के 12% से अधिक नहीं होगा जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच-जेड से कम है तथा औसत दैनिक कुल आधार पर 3% होगा ।

(3) विनियम 6 के अधीन यथा परिकलित 49.2 एचजेड की फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी यूआई दर के अलावा, 49.2 एचजेड की फ्रिक्वेंसी के तत्स्थानी यू आई दर के 40% के समकक्ष दर पर अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, प्रत्येक समय-ब्लॉकों के लिए विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए लागू होगी:

परंतु यह कि ईंधन के रूप में कोयला या लिग्नाइट या प्रशासित कीमत तंत्र गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, सभी समय-ब्लॉकों के दौरान विद्युत के अंदर इंजेक्शन के लिए यूआई कैप दर के अलावा, अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार यूआई कैप दर के 40% के समकक्ष होगा ।

टिप्पणः अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभारों का पुनर्विलोकन आयोग द्वारा छह मासिक आधार पर या उससे पूर्व किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, पृथक आदेशों द्वारा पुनरीक्षण किया जाएगा ।

(4) उपरोक्त विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा विनियम 7 (3) के अधीन अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभार का संदाय किसी ऐसी कार्रवाई में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जो समय-ब्लॉकों के लिए, जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच जेड से कम हो, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अधिक निकासी तथा अंडर उत्पादन सीमा के अतिलंघन के लिए, अधिनियम की धारा 142 तथा धारा 149 के अधीन समुचित समझी जाए ।

(5) आयोग, समय-समय पर, यदि आवश्यक समझे, जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, समय ब्लाकों के दौरान विद्युत की अधिक निकासी या अंडर-इंजेक्शन के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा ।

(6) विद्युत की कोई भी अधिक निकासी तथा अंडर-इंजेक्शन की संगणना "प्रादेशिक ऊर्जा लेखा" को तैयार करने के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी:

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो तथा पृथकतः 49.5 - 49.2 एचजेड के बीच हो, अधिक निकासी/अंडर-इंजेक्शन की यूआई मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाले यूआई लेखाओं तथा समय-ब्लाकों के लिए प्रत्येक फायदाग्राही तैयार करेगा तथा विक्रेता तथा उत्पादन केंद्र/विक्रेता के लिए संदत्त/प्राप्त यूआई की तत्स्थानी रकम को मासिक आधार पर अभिलेखों अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

8. भोर प्रेषण केंद्र के अनुदेशों का अनुपालन

विनियम 6 तथा 7 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केंद्र, विक्रेता, फायदाग्राही तथा क्रेता उत्पादन तथा निकासी पर प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के अनुदेशों का अनुसरण करेंगे ।

9. अननुसूचित विनिमय प्रभारों का लेखांकन

इन विनियमों के अधीन उदगृहीत अननुसूचित विनिमय प्रभारों के मद्दे सभी संदाय जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी है तथा उसके विलंब संदाय पर प्राप्त ब्याज को "अननुसूचित विनिमय पूल लेखा निधि" नामक निधि में जमा किया जाएगा जिसे ग्रिड कोड के उपबंधों के अनुसार बनाए तथा प्रचालित किया जाएगा ।

10. अननुसूचित विनिमय प्रभारों के संदाय की अनुसूची

(1) अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रभारों के लिए सभी संदाय जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी है, प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा अननुसूचित विनिमय लेखा विवरण के जारी करने के 10 दिन के भीतर अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि" में किए जाएंगे ।

(2) यदि अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार पर अननुसूचित अंतर विनिमय प्रभारों के संदायों में दो दिन से अधिक का विलंब किया जाता है, अर्थात् संदाय प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा विवरण के जारी करने के 12 दिन की अवधि के बाद किया जाता है, तो विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% का साधारण ब्याज संदेय होगा ।

(3) किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाइयों को अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि से सभी संदाय "अननुसूचित अंतर विनिमय पूल खाता निधि" में रकम के जमा करने के 15 दिन के भीतर किया जाएगा ।

11. यू आई के माध्यम से संगृहीत निधि का उपयोजन

(1) उत्पादन केंद्र और फायदाग्राहियों के अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात् छोड़ी गई रकम का उपयोग आयोग के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित दोनों या एक गतिविधियों के लिए किया जाएगाः

(क) अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों के लिए विनिधान की सर्विसिंगः

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से वर्तमान में उपयोग के अनुकूलतम स्तर के बिना अनुकूल महत्व की अंतर-राज्यिक पारेषण ऐसी स्कीमों, जिनका उपयोग अनुकूलतम स्तर तक नहीं किया जा रहा है, की पहचान करेगा । अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का निपटान करने के पश्चात "अननुसूचित विनिमय पूल निधि" में छोड़ी गई रकम से आरंभिक वर्षों के दौरान पूंजी लागत की सर्विसिंग के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि जब अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों में सम्मिलित ऐसी पारेषण लाइन या पारेषण प्रणाली, का उपयोग, उपयोग के अनुकूलतम स्तर तक पहुंच जाता है तब ऐसी पारेषण स्कीमों की लागत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार पारेषण स्कीम के उपयोक्ताओं से वसूली जाएगी ।

(ख) ग्रिड की सुरक्षा को सुनिश्चिता के लिए आनुषंगिक सहायक सेवाएं प्रदान करना जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार प्रक्रिया के अनुसार ऐसे निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान, जिसकी पहचान प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा की गई हो, "भार उत्पादन बेलेसिंग" सम्मिलित नहीं है ।

(2) खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आबंटनयोग्य निधि की रकम का विनिश्चय आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा ।

12. शिथिल करने की शक्ति

आयोग लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा शिथिलता प्रदान करके प्रभावित होने वाले पक्षकारों को उचित अवसर देने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर इन विनियमों के किसी उपबंध को साधारण या विशेष आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

13. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में परिवर्तन, हेरफेर, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2008-असा.]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2009

No. L-1(1)/2009-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange charges and related matters) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force on 1.4.2009.

2. Definitions and Interpretation

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) **'Act'** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) **'actual drawal'** in a time-block means electricity drawn by a beneficiary or a buyer, as the case may be, measured by the interface meters;

(c) **'actual injection'** in a time-block means electricity generated or supplied by the generating station or seller, as the case may be, measured by the interface meters.

(d) **'beneficiary'** means the person purchasing electricity generated from the generating station;

(e) **'buyer'** means a person, other than the beneficiary, buying electricity through a transaction scheduled in accordance with the regulations of the Commission applicable for open access, medium term access and long term access;

(f) **'generating station'** means a generating station whose tariff is determined by the Commission under clause (a) of sub-section (1) of Section 62 of the Act;

(g) **'Grid Code'** means the Grid Code specified by the Commission under clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act

(h) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;

(i) **'interface meters'** means interface meters as defined by the Central Electricity Authority under the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, as amended from time to time;

(j) **'Load Despatch Centre'** means National Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre, as the case may be, responsible for coordinating scheduling of the generating station in accordance with the provisions of Grid Code;

(k) **'scheduled generation'** at any time or for any period or time block means schedule of generation in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;

(l) **'scheduled drawal'** at any time or for any period or time block means schedule of despatch in MW or MWh ex-bus given by the concerned Load Despatch Centre;

(m) **'seller'** means a person, other than a generating station supplying electricity through a transaction scheduled in accordance with the regulations specified by the Commission for open access, medium term access and long term access;

(n) **'time-block'** means block of 15 minutes, for which specified electrical parameters and quantities are recorded by special energy meter, with first time block starting at 00.00 Hrs;

(o) **'Unscheduled Interchange'** in a time-block for a generating station or a seller means its total actual generation minus its total scheduled generation and for a beneficiary or buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal.

(2) Save as aforesaid and unless repugnant to the context or the subject-matter otherwise requires, words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, or the Grid Code or the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions of Tariff) Regulations, 2009 shall have the meanings assigned to them respectively in the Act or the Grid Code or the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions of Tariff) Regulations, 2009.

3. Objective

The objective of these regulations is to maintain grid discipline as envisaged under the Grid Code through the commercial mechanism of Unscheduled Interchange Charges by controlling the users of the grid in scheduling, dispatch and drawl of electricity.

4. Scope

These regulations shall be applicable to –

(i) the generating stations and the beneficiaries, and

(ii) sellers and buyers involved in the transaction facilitated through open access or medium term access or long-term access in inter-State transmission of electricity.

5. Unscheduled Interchange (UI) Charges:

The charges for Unscheduled Interchange for all the time-blocks when grid frequency is between 50.3 Hz and 49.2 Hz shall be payable for over-drawal by the buyer or the beneficiary and under-injection by the generating station or the seller and receivable for under-drawal by the buyer or the beneficiary and over-injection by the generating station or the seller and shall be worked out on the average frequency of the time-block at the rates given hereunder:-

Average frequency of time block (Hz)		UI Rate
Below	Not below	(Paise per kWh)
----	50.30	0
50.30	50.28	12
50.28	50.26	24
-----	-----	-----
-----	-----	-----
50.04	50.02	168
50.02	50.00	180
50.00	49.98	192
-----	-----	-----
-----	-----	-----
49.52	49.50	480
49.50	49.48	497
49.48	49.46	514
-----	-----	-----
-----	-----	-----
49.24	49.22	718
49.22	49.20	735

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 12.0 paise/kWh in the 50.3-49.5 Hz frequency range and to 17.0 paise/kWh in the 49.5-49.2 Hz frequency range)

Provided that Unscheduled Interchange rate shall be capped at 408 paise per kWh ("hereinafter UI Cap Rate") for all generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, in case when actual generation is higher or lower than the scheduled generation in the frequency range between 50.3 Hz and upto 49.2 Hz

Note: The Unscheduled Interchange charges including UI Cap rate shall be reviewed by the Commission on six-monthly basis or earlier, and revised, if necessary, through separate orders from time to time.

6. Declaration, scheduling and elimination of gaming

(1) The provisions of the Grid Code and the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations 2008, as amended from time to time, shall be applicable for declaration of capacity, scheduling and elimination of gaming.

(2) The generating station, as far as possible, shall generate electricity as per the day-ahead generation schedule finalised by the Regional Load Despatch Centre in accordance with Grid Code.

Provided that the revision in generation schedule on the day of operation shall be permitted in accordance with the procedure specified under the Grid Code.

(3) Any generation from the generating stations other than hydro generating stations up to 105% of the declared capacity in any time block of 15 minutes and averaging up to 101% of the average declared capacity over a day shall not be considered as gaming, and the generating station shall be entitled to UI charges for such excess generation above the scheduled generation.

(4) For any generation from the generating stations other than hydro generating stations beyond the specified limits, the Regional Load Despatch Centre shall investigate so as to ensure that there is no gaming. Generating stations shall be entitled to recover the Unscheduled Interchange charges only if the investigation establishes that there is no gaming. If gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding Unscheduled Interchange charges payable to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI pool account of the beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station.

(5) The hydro generating stations are expected to respond to grid frequency changes and inflow fluctuations. The hydro generating stations shall be free to deviate from the given schedule, without indulging in gaming and causing grid constraint, and a compensation for difference between the actual net energy supply by a hydro generating station and the scheduled energy (ex-bus) over a day shall be made by the concerned Regional Load Despatch Centre in the day-ahead schedule for the 4th day (day plus 3). If the gaming is found by the Regional Load Despatch Centre, the corresponding Unscheduled Interchange charges payable to the generating station on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be adjusted in UI pool account of the beneficiaries in the ratio of their capacity share in the generating station.

7. Limits on UI volume and consequences of crossing limits

(1) The over-drawal of electricity from the schedule by any beneficiary or a buyer during a time-block shall not exceed 12% of its scheduled drawal or 150 MW (whichever is lower) when frequency is below 49.5 Hz, and 3% on a daily aggregate basis.

(2) The under-injection of electricity from the schedule by a generating station or by a seller during a time-block shall not exceed 12% of the scheduled injection of such generating station or seller when frequency is below 49.5 Hz, and 3% on daily aggregate basis.

(3) In addition to UI Rate corresponding to frequency of 49.2 Hz, as stipulated under regulation 5, an Additional Unscheduled Interchange Charge at the rate equivalent to 40% of the UI Rate corresponding to frequency of 49.2 Hz shall be applicable for over-drawal or under-injection of electricity for each time-block when grid frequency is below 49.2 Hz.

Provided that for under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.2 Hz for the generating stations using coal or lignite or gas supplied under Administered Price Mechanism (APM) as the fuel, Additional Unscheduled Interchange Charge shall be equivalent to 40% of the UI Cap Rate.

Note: The Additional Unscheduled Interchange Charge shall be reviewed by the Commission on six-monthly basis or earlier, and revised, if necessary through separate orders.

(4) Payment of Unscheduled Interchange Charges under regulation 5 and the Additional Unscheduled Interchange Charge under Regulation 7(3) above, shall be without prejudice to any action that may be considered appropriate under section 142 and section 149 of the Act for contravention of the over-drawal and under-generation limit specified in these regulations, for a time block when frequency is below 49.5 Hz.

(5) The Commission may from time to time, if considered necessary, prescribe the Additional Unscheduled Interchange Charge for over-drawal or under-injection of electricity during the time-block when grid frequency is below 49.5 Hz and up to 49.2 Hz.

(6) Any over-drawal and under-injection of electricity shall be computed in accordance with the methodology used for preparation of 'Regional Energy Accounts'.

Provided that the Regional Load Despatch Centre shall prepare and publish on its website the records, on monthly basis, of the UI Acoounts, specifying the quantum of over-drawal/under-generation and corresponding amount of UI paid/received for each beneficiary or buyer and generating station or seller for the time-blocks when grid frequency was below 49.2 Hz and between 49.5-49.2 Hz separately.

8. Compliance with instructions of Load Despatch Centre

Notwithstanding anything specified in Regulations 6 and 7, the generating station, the seller, the beneficiary and the buyer shall follow the instructions of the Regional Load Despatch Centre on generation and drawal.

9. Unscheduled Interchange Charges Accounting

All payments on account of Unscheduled Interchange charges including the Additional Unscheduled Interchange Charges levied under these regulations and interest received on late payment thereof shall be credited to a Fund called the "Unscheduled Interchange Pool Account Fund", which shall be maintained and operated in accordance with provisions of the Grid Code.

10. Schedule of Payment of Unscheduled Interchange Charges

(1) All payments for Unscheduled Interchange charges including the Additional Unscheduled Interchange Charge shall be made to the "Unscheduled Interchange Pool Account Fund" within 10 days of issue of Unscheduled Interchange account statement by the Regional Power Committee.

(2) If any payments for the Unscheduled Interchange charges on the Additional Unscheduled Interchange Charge are delayed by more than two days, that is to say, payments are made beyond a period of 12 days of issue of the statement by the

Regional Power Committee, simple interest @0.04% for each day of delay shall be payable.

(3) All payments from the Unscheduled Interchange Pool Account Fund to the entities entitled to receive any amount shall be made within 5 days of crediting of the amount to "Unscheduled Interchange Pool Account Fund".

11. Application of fund collected through UI

(1) The amount left after final settlement of claims of Unscheduled Interchange charges of the generating station and the beneficiaries shall be utilised, with the prior approval of the Commission, for either or both of the following activities:

(a) Servicing of investment for transmission schemes of strategic importance,

Provided that the Central Transmission Utility in consultation with Central Electricity Authority shall identify the inter-State transmission schemes of strategic importance, not being utilised up to optimum level and seek prior approval of the Commission for servicing of capital costs during the initial years from amount left in the "Unscheduled Interchange Pool Fund" after settlement of claims of Unscheduled Interchange Charges.

Provided further that when utilisation of such transmission line or transmission system included in the transmission schemes of strategic importance reaches the optimum level of utilisation, the cost of such

scheme shall be recovered from the users of the scheme in accordance with the methodology specified by the Commission.

(b) Providing ancillary services including but not limited to 'load generation balancing' during low grid frequency as identified by the Regional Load Despatch Centre, in accordance with the procedure prepared by it, to ensure grid security and safety:

(2) The amount of fund, allocable for the purposes specified under clause (1), shall be decided by the Commission from time to time.

12. Power to Relax.

The Commission may by general or special order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of hearing to the parties likely to be affected by grant of relaxation, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

13. Power to Amend.

The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/150/2008-Exty.]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सं. एल-1(2)/2009-सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आईईजीसी" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**-(1) इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (संशोधन) विनियम, 2009 है ।

(2) ये संशोधन 1.4.2009 से प्रवृत्त होंगे ।

2. **अध्याय 1, खंड 1.2 का संशोधन**

अध्याय 1 में खंड 1.2 के दूसरे पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"मितव्ययी तथा विश्वसनीय राष्ट्रीय प्रादेशिक ग्रिड के प्रचालन, रखरखाव, विकास तथा योजना का सरलीकरण करना ।"

3. **अध्याय 1, खंड 1.4 (v) का संशोधन**

अध्याय 1 के खंड 1.4 (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"अनुसूचीकरण तथा प्रेषण संहिता

यह खंड आईएसजीएस, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनएलडीसी), प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों (एसएलडीसी) तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आईएसजीएस), जिसमें कंप्लीमेंटरी वाणिज्यिक तंत्र भी सम्मिलित है, के उत्पादन का अनुसूचीकरण तथा प्रेषण करने के लिए प्रक्रिया से संबंधित है"।

4. **अध्याय 1, खंड 1.5 का संशोधन**

(i) खंड 1.5 के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"किसी संघटक या अभिकरण (आरपीसी, एनएलडीसी तथा आरएलडीसी) से भिन्न द्वारा आईईजीसी के किसी भी अनुबंध का लगातार अननुपालन की दशा में , मामले को किसी भी अभिकरण/आरएलडीसी द्वारा सदस्य-सचिव आर पी सी को रिपोर्ट किया जाएगा ।"

(ii) खंड 1.5 के पहले वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"एनएलडीसी, आरएलडीसी तथा आरपीसी द्वारा आईईजीसी के किसी भी अनुबंध के अननुपालन की दशा में, मामले को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को रिपोर्ट किया जाएगा ।"

5. **अध्याय 1, खंड 1.9 का संशोधन**

अध्याय 1, खंड 1.9 में निम्नलिखित परिभाषाएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"सामूहिक संव्यवहार	"सामूहिक संव्यवहार" से क्रेता तथा विक्रेता द्वारा अनाम, समकालिक प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से पावर एक्सचेंज में किए गए संव्यवहारों का एक सेट अभिप्रेत है ;
राष्ट्रीय ग्रिड	"राष्ट्रीय ग्रिड" से देश का संपूर्ण अंतर-संयोजित विद्युत ऊर्जा नेटवर्क अभिप्रेत है;
एनएलडीसी	"राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र अभिप्रेत है;
पावर एक्सचेंज	"पावर एक्सचेंज" से केविविआ के पूर्व अनुमोदन से स्थापित पावर एक्सचेंज अभिप्रेत है;
क्षेत्रीय इकाइयां	"क्षेत्रीय इकाई" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है ।
अंतरण क्षमता	पारेषण प्रणाली की "अंतरण क्षमता" अंतरण विद्युत ऊर्जा की योग्यता है जब इसका प्रचालन अंतर-संयोजित ऊजा प्रणाली के योग के रूप में किया जाता है तथा ग्रिड के सुरक्षा पहलुओं पर विचार करने वाली प्रणाली की भौतिक तथा विद्युत विशेषताएं द्वारा सीमित है ।"

6. **अध्याय 2, खंड 2.1 का संशोधन**

(i) खंड 2.1.1 में "प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों " शब्दों से पूर्व राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी), शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे ।

(ii) खंड 2.2 का शीर्षक निम्नलिखित रूप में पढा जाएगाः

"एनएलडीसी तथा आरएलडीसी की भूमिका"

(iii) खंड 2.2 के अधीन, उपखंड 2.2.1 से पूर्व एक नया उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगाः

"2.2.1(क) अधिनियम की धारा 26 (2) के अनुसार ऊर्जा मंत्रालय ने तारीख 2 मार्च, 2005 की अधिसूचना द्वारा एनएलडीसी के निम्नलिखित कृत्य विहित किए है :

(क) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों का पर्यवेक्षण;

(ख) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के समन्वय से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुसार अन्तर-प्रादेशिक लिंकों अनुसूचीकरण तथा प्रेषण;

(ग) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालन में अधिकतम मितव्ययता तथा दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ समन्वय;

(घ) राष्ट्रीय ग्रिड के प्रचालनों तथा ग्रिड सुरक्षा की मानीटरिंग ;

(ङ) अन्तर-प्रादेशिक लिंकों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण जो उसके नियंत्रणाधीन ऊर्जा प्रणाली के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित होगा;

(च) ऊर्जा संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रादेशिक आउटेज अनुसूची के लिए प्रादेशिक ऊर्जा समिति के साथ समन्वय;

(छ) ऊर्जा के अंतर-प्रादेशिक विनिमय के ऊर्जा लेखांकन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के साथ समन्वय;

(ज) प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के समकालिक प्रचालन के पुनःप्रचलन के प्रतिस्थापन के लिए समन्वय ;

(झ) ट्रांस-नेशनल पावर एक्सचेंज के लिए समन्वय ;

(ञ) प्राधिकरण तथा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को राष्ट्रीय ग्रिड योजना के लिए प्रचालनात्मक फीड बैक देना;

(ट) ऐसी उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों, जो ऊर्जा प्रणाली में अंतर्वलित हैं, से ऐसी फीस तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण, जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ठ) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी विनियमों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार पारेषण प्रणाली के प्रचालन से संबंधित जानकारी देना ।

(iv) विद्यमान खंड 2.2.1 को 2.2.21 (ख) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

6क. अध्याय 2, खंड 2.2.2 का संशोधन

खंड 2.2.2 का उपखंड (6) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगाः

"प्रादेशिक यूआई पूल खाता तथा प्रादेशिक रिएक्टिव ऊर्जा खातों का प्रचालन, परंतु यह कि ऐसा कृत्य आरएलडीसी से भिन्न किसी इकाई द्वारा आरंभ किया जाएगा यदि केविविआ ऐसा निदेश दे ।"

7. अध्याय 4, खंड 4.1 का संशोधन

(क) अध्याय 4, खंड 4.1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा : --

"प्रस्तावना

सीटीयू और उससे संशक्त किसी अभिकरण या आईएसटीसी का कनेक्शन चाहने वाले अभिकरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजिकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 का पालन करेंगे । इस अध्याय में पश्चातवर्ती खंडों में दी गई संयोजन शर्तें न्यूनतम तकनीकी तथा डिजाइन मानदंड विनिर्दिष्ट करते हैं जिसका अनुपालन सीटीयू तथा उससे संशक्त अभिकरण या आईएसटीएस का संयोजन चाहने वाले अभिकरण द्वारा किया जाएगा । वे ऐसी प्रक्रियाएं भी विहित करते हैं जिसके द्वारा सीटीयू तय संयोजन स्थापित करने के लिए यथा पूर्व-अध्यपेक्षित उपरोक्त मानदंडों से किसी अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।"

8. अध्याय 5, खंड 5.2 का संशोधन

(क) अध्याय 5 के खंड 5.2 के उपखंड (i) में "49.0 एचज्येड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "49.2 एचज्येड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) अध्याय 5 के खंड 5.2 के उपखंड (i) में "49.0-50.5 एचज्येड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "49.2-50.3 एचज्येड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

9. अध्याय 5, खंड 5.4.2 का संशोधन

अध्याय 5 के खंड 5.4.2 के उपखंड (क) में "49.0 एचज्येड" अंक तथा शब्द के स्थान पर "49.2 एचज्येड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

10. अध्याय 6, खंड 6.1 का संशोधन

अध्याय 6 में, खंड 6.1 के उपखंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा;

"(क) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण में विभिन्न प्रादेशिक संघटकों, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के बीच उत्तरदायित्वों का विभाजन ।"

11. अध्याय 6, खंड 6.2 का संशोधन

अध्याय 6 के खंड 6.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा, अर्थात् :—

"उद्देश्य

यह संहिता एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसी तथा प्रादेशिक इकाईयों के बीच जानकारी देने की पद्धति के दैनिक आधार पर, संबंधित प्रादेशिक इकाइयों के कुल इंजेक्शन/निकासी की अनुसूचीकरण के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है । प्रत्येक आईएसजीएस द्वारा घोषित क्षमता तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों द्वारा अध्यपेक्षा/निकासी अनुसूची प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रत्येक आईएसजीएस के लिए प्रेषण अनुसूची तथा प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए निकासी अनुसूची तैयार करने के लिए आरएलडीसी को समर्थ बनाने हेतु आशयित है । यह अनुसूचियों से विचलन के लिए तथा रिएक्टिव ऊर्जा कीमत के लिए तंत्र हेतु वाणिज्यिक व्यवस्था के साथ प्रादेशिक इकाईयों को वास्तविक समय प्रेषण/निकासी अनुदेशों तथा अनुसूचीकरण जारी करने की पद्धति के लिए उपबंध करता है । इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 28 तथा 29 के अधीन आरएलडीसी को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है ।"

12. अध्याय 6, खंड 6.3 का संशोधन

अध्याय 6 के खंड 6.3 में, प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"यह संहिता एनएलडीसी, आरएलडीसी/एसएलडीसी, आईएसजीएस, एसईबी/एसटीयू तथा प्रादेशिक ग्रिड के अन्य फायदाग्राहियों को लागू होगा ।"

13. अध्याय 6, खंड 6.4 का संशोधन

अध्याय 6 के खंड 6.4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6.4 उत्तरदायित्वों का विभाजन

1. आरएलडीसी केंद्रीय सरकार के संगणनों के स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्रों (ऐसे केंद्रों को छोड़कर जहां मेजबान राज्य को पूर्ण शेयर आवंटित किया गया है), अल्ट्रा मेगा ऊर्जा परियोजना, 1000 मेगावाट या उससे अधिक आकार के अन्य उत्पादन केन्द्रों जिनमें मेजबान राज्य से भिन्न राज्य का 50% या उससे अधिक स्थायी शेयर है, की अनुसूचीकरण का समन्वय करेंगे । संयंत्र आकार तथा अन्य राज्यों के शेयर के बारे में उपरोक्त मानदंड को पूरा न करने वाले उत्पादन केन्द्र को उस राज्य, जिसमें वे अवस्थित हैं, के एसएलडीसी द्वारा अनुसूचित किया जाएगा । तथापि, केविविआ के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समीचीनता के प्रचालन के कारणों के लिए अपवाद हो सकेंगे ।

2. उन उत्पादन केन्द्रों की दशा में, जहां ऊर्जा प्रदाय की संविदा केवल उस राज्य को होती है जिसमें वह अवस्थित है, वहां अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन अपने-अपने राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा की जाएगी ।

3. राज्य भार प्रेषण केन्द्र, जो उत्पादन केन्द्र की अनुसूचीकरण का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है (i) स्टेशन के प्रचालन की वास्तविक समय मानीटरिंग (ii) उपलब्धता घोषणा तथा आदेश अनुसूची का पुनरीक्षण, (iii) स्वचिंग अनुदेश (iv) मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, (v) यूआई खातों का जारी किया जाना (vi) यूआई संदाय का संग्रहण/ संवितरण, तथा (vii) आउटेज प्लानिंग, आदि के लिए भी जिम्मेदार होगा ।

4. प्रादेशिक ग्रिड लूज ऊर्जा पूल्स (विकेन्द्रीकरण तथा प्रेषण) के रूप में परिचालित किया जाएगा जिसमें राज्यों को पूर्ण प्रचालनात्मक स्वायत्तता होगी और एस एल डी सी के पास (i) अपने स्वयं के उत्पादन का अनुसूचीकरण/प्रेषण करने (जिसमें उनके सन्निहित अनुज्ञप्तिधारी का उत्पादन भी सम्मिलित है), (ii) अपने ग्राहकों की मांग को विनियमित करने; (iii) आईएसजीएस से अपनी निकासी का अनुसूचीकरण करने (अपने-अपने सयंत्रों की अनुमानित क्षमता में उनके अंश के भीतर); (iv) किसी द्विपक्षीय विनिमय की व्यवस्था करने, और (v) निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप क्षेत्रीय ग्रिड से अपनी कुल निकासी को विनियमित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

5. प्रत्येक प्रादेशिक इकाई की प्रणाली सैद्धांतिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझी तथा प्रचालित की जाएगी । आईएसजीएस से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन तथा किसी द्विपक्षीय अंतर-विनिमय प्रत्येक राज्य की निकासी अनुसूची को प्रदान करेगा तथा इसे दैनिक आधार पर अग्रिम में अवधारित किया जाएगा । जबकि राज्यों से साधारणतः अपने उत्पादन और/या ग्राहकों को विनियमित करने की आशा की जाएगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के निकट क्षेत्रीय ग्रिड से उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके तथा कठोर नियंत्रण

आज्ञापक नहीं है । राज्य अपने स्वविवेक से, निकसी अनुसूची से विचलित हो सकते हैं तथा विचलन अनुज्ञेय सीमा से परे विकृत हो जाने के लिए प्रणाली पैरामीटरों के लिए कारण नहीं बनता है और/या अस्वीकार्य लाइन लोडिंग को प्रेरित नहीं करता है ।

6. उपरोक्त लचीलेपन का इस तथ्य की दृष्टि से प्रस्ताव किया गया हैं कि सभी राज्यों के पास क्षेत्रीय ग्रिड से वास्तविक कुल निकासी को मिनट प्रति मिनट आन लाइन विनियमित करने के लिए सभी अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं । तथापि, कुल निकसी अनुसूची से विचलन की अन-नुसूचित विनिमय (यूआई) तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से कीमत तय की जानी होती है ।

7. परंतु यह कि राज्य, जब कभी प्रणाली की फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्येड से निम्न हो जाती है, अपने एसएलडीसी के माध्यम से अपनी-अपनी निकासी अनुसूचियों के भीतर ग्रिड से उनकी कुल निकासी को निर्बधित करने का हमेशा प्रयास करेंगे। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 एच ज्येड से नीचे हो जाती है तब अधिक निकासी में कमी करने के लिए संबंधित राज्यों में अपेक्षित लोड शेडिंग की जाएगी ।

8. एसएलडीसी/एसटीयू अपने-अपने राज्यों के लिए अग्रिम में योजना के लिए उनको समर्थ बनाने के लिए अल्पकालिक मांग प्राक्कलन के बारे में हमेशा ऐसे आवश्यक प्रयोग करेगा कि वे कैसे ग्रिड से अधिक निकासी किए बिना अपने ग्राहक के भार को कैसे पूरा करेंगे ।

9. आईएसजीएसएस, एलडीसी से प्राप्त अध्यपेक्षा के आधार पर आरएलडीसी द्वार उनको दी गई दैनिक अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा उत्पादन तथा अपने उत्पादन केन्द्रों के पर्याप्त प्रचालन तथा रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा जिससे कि ये केन्द्र बेहतर संभव दीर्घकालिक उपलब्धता और मितव्ययिता की पूर्ति कर सकें ।

10. जबकि आईएसजीएस से सामान्य रूप से यह आशा की जाएगी कि वे उनको दी गई दैनिक सलाह अनुसूचियों के अनुसार ऊर्जा का उत्पादन करें तथा कड़ाई से अनुसूचियों का पालन करना आवश्यक नहीं है । राज्यों को अनुज्ञात छूट के आधार पर, आईएसजीएस संयंत्र तथा प्रणाली के हालात पर निर्भर करते हुए दी गई अनुसूचियों से भी विचलन कर सकेगा । विशेषकर वे अभाव की दशा में भी दी गई अनुसूची से परे उत्पादन करने के लिए अनुज्ञात होंगे/प्रोत्साहित करेंगे । तथापि, एक्स-ऊर्जा संयत्रं उत्पादन अनुसूचियों से विचलन की कीमत यू आई तंत्र के माध्यम से पर्याप्त रूप से तय की जाएगी ।

11. परंतु यह कि जब फ्रिक्वेंसी 50.3 ज्येड एच से अधिक है तो वास्तविक कुल इंजेक्शन उस समय के लिए अनुसूचित प्रेषण से अधिक नहीं होगा और, जब फ्रिक्वेंसी 50.3 एच ज्येड है तब आईएसजीएस (अपने स्वविवेक से) बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी को निर्बधित करने के लिए आरएलडीसी से सलाह का इंतजार किए बिना फ्रिक्वेंसी को कम कर सकेगा । जब फ्रिक्वेंसी 49.5 एच ज्येड से कम होती है तो सभी आईएसजीएस पर (व्यस्ततम ड्यूटी करने वालों के सिवाय) उत्पादन को उस स्तर पर बढ़ाया जाएगा जिस स्तर तक वह आर एल डी सी से सलाह किए बिना कायम रख सकता है ।

12. तथापि, उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, आरएलडीसी आकस्मिकता अर्थात लाइन/ट्रासंफार्मर की अधिक लोडिंग, असामान्य वोल्टता प्रणाली सुरक्षा को धमकी की दशा में एसएलडीसी/आईएसजीएस/अन्य प्रादेशिक इकाइयों को अपनी निकासी/उत्पादन में वृद्धि करने/कमी करने का निदेश दे सकेगा । ऐसे निदेशों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी । यदि स्थिति पर तुरंत कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है और आर एल डी सी के पास विश्लेषण करने के लिए कुछ समय है जो वह इस बात की जांच करेगा कि क्या ऐसी स्थिति अनुसूचियों से विचलन के कारण उत्पन्न दृष्टि या अल्पकालिक खुली पहुंच के अनुसरण में किसी ऊर्जा के प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई है । कोई ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व उपरोक्त अनुक्रम में पहले उसे दूर किया जाएगा जिससे प्रारंभिक रूप से दीर्घकालिक ग्राहकों को आई एस जी एस से अनुसूचित प्रदाय प्रभावित होगा ।

13. ऐसे उत्पादन तथा पारेषण प्रणाली के सभी आउटजों के लिए, जिनसे प्रादेशिक ग्रिड पर प्रभाव पड़ेगा, सभी संघटक एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे तथा आर एल डी सी (सभी अन्य मामलों में) के माध्यम से अग्रिम में पर्याप्त रूप से पूर्वकल्पित आउटेज के लिए तथा ओ सी सी द्वारा पृथक् रूप से तैयार प्रक्रियाओं के अनुसार प्रचालनात्मक समन्वय समिति (ओसीसी) के माध्यम से समन्वय करेगा । विशेषकर, आई एस जी एस उत्पादन और/या आई एस जी एस अंश के निर्बंधन, जो फायदाग्राही पर लगाए जा सकते हैं (और जो एक वाणिज्यिक विविधा हो सकेगी) की योजना बेहतर रीति से पूर्ति करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की जाएगी ।

14. प्रादेशिक संघटक आईएसजीएस परियोजनाओं (भारत सरकार द्वारा आबंटन के आधार पर, जहां लागू हो), अनुसूचित निकासी पैटर्न, टैरिफ, संदाय निबंधनों, आदि में राज्यों के अंशों की पहचान करने के लिए पृथक संयुक्त/द्विपक्षीय करार करेंगे । ऐसी सभी करार अनुसूची और प्रादेशिक ऊर्जा लेखांकन में विचार किए जाने के लिए संबंधित आरएलडीसी और आरपीसी सचिवालय में फाइल किए जाएंगे । दीर्घकालिक/अल्पकालिक आधार पर अनुसूचित विनिमय के लिए संघटकों के बीच द्विपक्षीय कोई भी करार विनिमय अनुसूची को भी विनिर्दिष्ट करेंगे जिसे आरएलडीसी के पास अग्रिम में सम्यक रूप से फाइल किया जाएंगे ।

15. सभी संघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों को अनुसूचियों से, अर्थात् अन-नुसूचित विनिमय से फ्रिक्वेंसी लिंक्ड भार प्रेषण और कीमत विचलन की संकल्पना का पालन करना चाहिए । संघटकों, उनके अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों की सभी उत्पादन यूनिटें जब तक आरएलडीसी/एसएलडीसी द्वारा अन्यथा सलाह न दी जाए, एक संभव सीमा तक आर एल डी सी द्वारा जारी किए गए स्थायी फ्रिक्वेंसी लिंक्ड भार प्रेषण मार्ग दर्शन सिद्धांतों के अनुसार सामान्य रूप से प्रचालित की जानी चाहिएं ।

16. आईएसजीएस एक्स-ऊर्जा संयंत्र मेगावाट तथा अगले दिन, अर्थात् 0000 घंटे से 2400 घंटे तक के लिए अनुमानित एमडब्ल्यूएच क्षमताओं की अग्रिम घोषणा करेगा । थर्मल स्टेशनों की दशा में, ईंधन में कमी के दौरान, न्यूनतम मेगावाट, अधिकतम मेगावाट, एमडब्ल्यूएच क्षमता तथा ईंधन कमी की घोषणा को विनिर्दिष्ट करेगा । उत्पादन केंद्र ब्लॉक में संभव रेपिंग अप/रेपिंग

डाउन की भी घोषणा करेंगे । गैस टर्बाइन उत्पादन केंद्र या संयुक्त साइकल उत्पादन केंद्र की दशा में, उत्पादन केंद्र यूनिटों की क्षमता एपीएम गैस, आरएलएनजी तथा द्रव ईंधन पर मॉड्यूल की घोषणा करेगा तथा ये पृथकृत अनुसूचित किए जाएंगे ।

17. क्षमता की घोषणा करने या पुनरीक्षण करते समय, आईएसजीएस यह सुनिश्चित करेगा कि व्यस्तम घंटों के दौरान घोषित क्षमता अन्य घंटों के दौरान से कम नहीं है । तथापि, इस नियम के अपवाद यूनिटों के अनिवार्य आउटेज के परिणामस्वरूप यूनिटों के ट्रिपिंग/रि-सिंक्रोनाइजेशन की दशा में अनुज्ञात किए जाएंगे ।

18. आईएसजीएस के लिए यह आवश्यक होगा कि वह निष्ठापूर्वक संयंत्र क्षमताओं को, अर्थात् उनके बेहतर निर्धारण के अनुसार, घोषित करे । यदि यह आशंका है कि वे अपनी घोषित क्षमता के आधार पर दी गई अनुसूचियों से विचलित करने के लिए अनुध्यात संयंत्र क्षमता को जानबूझकर अधिक/कम घोषित करते हैं (और इस प्रकार वे असम्यक् क्षमता प्रभार या अनुसूची से विचलन के लिए भार के रूप में धन कमाते हैं) तो आरएलडीसी आईएसजीएस से आवश्यक बैकअप आकड़ों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकेगा ।

19. सीटीयू वास्तविक कुल एम डब्ल्यू एच विनिमय और एमडब्ल्यूए निकासी को अभिलिखित करने के लिए क्षेत्रीय संघटकों या अन्य पहचाने गए स्थानों के बीच सभी अंतर संयोजनों पर विशेष ऊर्जा मीटर लगाएगा । विशेष ऊर्जा मीटरों का संस्थापन, प्रचालन तथा रखरखाव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 के अनुसार होगा । सभी संबंधित इकाइयां (जिनके परिसर में विशेष ऊर्जा मीटर लगाए गए है) सी टी यू/आर एल डी सी के साथ पूर्ण सहयोग करेंगी तथा साप्ताहिक मीटर रीडिंग लेने तथा मंगलवार सायं तक पारेषित करने के लिए आर एल डी सी को आवश्यक सहायता देंगी ।

20. आरएलडीसी उपरोक्त मीटर रीडिंग के आधार पर, 15 मिनट-वार प्रत्येक संबंधित प्रादेशिक इकाइयों की वास्तविक कुल इंजेक्शन/ निकासी की संगणना के लिए जिम्मेदार होगा । मीटरों के प्रसंस्कृत आंकड़े के साथ उपरोक्त आंकड़े अन-नुसूचित विनियम खाते तैयार करने तथा जारी करने में समर्थ बनाने के लिए पूर्व रविवार की अर्धरात्रि पर समाप्त होने वाले सात दिन की अवधि के लिए प्रत्येक गुरूवार के दोपहर बाद तक साप्ताहिक आधार पर आरएलडीसी द्वारा आरपीसी सचिवालय को भेजे जाएंगे । आरएलडीसी द्वारा की गई सभी संगणनाएं जांच और सत्यापन के लिए सभी संघटकों हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी । यदि किसी गलती/लोप का पता लगता है तो आरएलडीसी तत्काल पूरी जांच करेगा और त्रुटियों का दूर करेगा ।

21. आईएसजीएस, जब कभी उस प्रदेश प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जिसमें आईएसजीएस अवस्थित है, कहा जाए, अपने उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए अपेक्षित होगा । उत्पादन केन्द्र के घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल रहने की दशा में आईएसजीएस को शोध्य क्षमता प्रभारों में शास्ति के रूप में कटौती की जाएगी ।

22. दिन में किसी अवधि/ब्लाक के लिए पहले मिथ्या घोषणा के लिए शास्ति की मात्रा दो दिन के लिए नियत प्रभारों के तत्स्थानी प्रभार के बराबर होगी । दूसरी बार मिथ्या घोषणा के लिए, शास्ति चार दिन के लिए नियत प्रभारों के समतुल्य होगी तथा पश्चात्वर्ती मिथ्या घोषणा के लिए शास्ति ज्यामितीय अनुक्रम में गुणांकित की जाएगी ।

23. उत्पादन केन्द्र की प्रचालन लॉग बुक प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा पुनर्विलोकन करने के लिए उपलब्ध होगी । इस पुस्तिका में मशीन के प्रचालन तथा रखरखाव का अभिलेख रखा जाएगा ।

24. 15 मिनट के किसी समय-ब्लाक के घोषित क्षमता के 105% तक तथा दिन में औसत घोषित क्षमता के औसतन 101% तक हाइड्रो उत्पादन से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी भी उत्पादन को गेमिंग नहीं समझा जाएगा तथा उत्पादक अनुसूचित उत्पादन से ऊपर ऐसे अधिक उत्पादन के लिए यूआई प्रभारों का हकदार होगा ।

25. विहित समय के परे हाइड्रो उत्पादन से भिन्न उत्पादन केंद्रों से किसी भी उत्पादन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र जांच करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यहां कोई गेमिंग नहीं है, उत्पादन केंद्र अन-नुसूचित विनिमय प्रभारों की वसूली के लिए केवल तब हकदार होगा यदि जांच से यह सुस्थापित हो जाता है कि कोई गेमिंग नहीं है । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसी अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन केन्द्र को शोध्य तत्स्थानी यूआई प्रभारों में शून्य तक कमी की जाएगी तथा रकम का समायोजन उत्पादन केन्द्र में फायदाग्राहियों के यूआई खाते में उनकी क्षमता शेयर के अनुपात में किया जाएगा ।

26. हाइड्रो उत्पादन केंद्रों से यह प्रत्याशा की जाती है ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव में अपना प्रत्युत्तर दें । हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी गई अनुसूची में गेमिंग में सम्मिलित हुए बिना तथा ग्रिड अवरोधों के कारण परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा हाइड्रो उत्पादन केंद्र तथा संपूर्ण दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) द्वारा वास्तविक कुल ऊर्जा प्रदाय के बीच अंतर के लिए प्रतिभार संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन जमा 3) के डे-एहेड अनुसूची में से दिया जाएगा । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा गेमिंग पाई जाती है तो ऐसे अतिरिक्त उत्पादन के कारण उत्पादन कंपनी को संदेय तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों में शून्य तक की कमी की जाएगी तथा रकम को फायदाग्राहियों के यूआई पूल खाते में उत्पादन केंद्र में उनकी क्षमता हिस्सेदारी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा ।

27. आर एल डी सी जांच के लिए जारी किए जाने वाले प्रेषण तथा कुल निकासी अनुसूचियों से वास्तविक रूप से विचलन का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा चाहे कोई भी संघटक अनुचित कार्य या दुरभिसंन्धि में संलिप्त होता है । यदि ऐसे किसी कार्य का पता चलता है तो मामले को और अन्वेषण/कार्रवाई के लिए सदस्य-सचिव, आरपीसी को भेजा जाएगा ।

28. एनएलडीसी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के समन्वय से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड मानकों तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुसार अन्तर-प्रादेशिक लिंकों पर विद्युत अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा। एनएलडीसी ऊर्जा के अन्त-प्रादेशिक ऊर्जा विनिमय के ऊर्जा लेखांकन के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेगा। एनएलडीसी ऊर्जा के ट्रांस-नेशनल विनिमय के लिए समन्वय करेगा।

29. एनएलडीसी अन्तर-प्रादेशिक पावर एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण, उपलब्ध अंतरण क्षमता की संगणना तथा अन्य देशों के साथ देश के पावर एक्सचेंजों के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगा जिसमें अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों के लिए अनुसूचीकरण तथा समन्वय, प्रादेशिक सीमाओं के पार आबंटन, अनुसूचीकरण तथा एचवीडीसी सेटिंग जिम्मेदारी, आदि भी सम्मिलित है।

30. यदि उन राज्यों, जिनमें आईएसजीएस अवस्थित है, का उस आई एस जी एस में प्रमुख शेयर है तो संबंधित पक्षकार राज्यों के भार प्रेषण केन्द्रों को आई एस जी एस के अनुसूचीकरण करने की जिम्मेदारी को समनुदेशित करने के लिए परस्पर करार (प्रचालनात्मक सुविधा के लिए) कर सकेंगे। ऐसे मामलों में, संबंधित आर एल डी सी की भूमिका अपने-अपने राज्यों की कुल निकासी अनुसूचियों का अवधारण करते समय इस आई एस जी एस के कारण ऊर्जा के अंतर-राज्यिक विनिमय के लिए अनुसूची पर विचार करने हेतु सीमित होगा।

14. अध्याय 6, खंड 6.5 का संशोधन

अध्याय 6 के खंड 6.5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"6.5 **अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया** (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के उपबंधों के साथ पढ़ा जाएं)

1. ऐसे सभी अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों (आईएसजाएस) जिनका आउटपुट एक से अधिक राज्यों में आबंटित/संविदागत बांटा गया है, को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा। केन्द्र क्षमता तथा विभिन्न फायदाग्रहियों के आबंटित/संविदागत शेयर भी सूचीबद्ध किए जाएंगे।

2. प्रत्येक राज्य ऐसे सभी केन्द्रों के लिए (दिन के लिए अनुमानित एक्स ऊर्जा संयंत्र एम डब्ल्यू क्षमता) x (केन्द्र की क्षमता में राज्यों के अंश) तक मेगावाट प्रेषण के लिए हकदार होंगे। हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की दशा में, (ट्रिप के लिए एम डब्ल्यू एच उत्पादन क्षमता) x (केन्द्रों की क्षमता में राज्यों का अंश) के बराबर दैनिक एम डब्ल्यू एच प्रेषण तक भी सीमित होंगे।

3. प्रत्येक दिन के 9 बजे तक, आईएसजीएस अगले दिन अर्थात् आगामी दिन के 0000 बजे से 2400 बजे तक के लिए संबंधित आर एल डी सी को स्टेशनवार एक्स ऊर्जा संयंत्र मेगावाट और अनुमानित एम डब्ल्यू एच क्षमता की सलाह देंगे।

4. आईएसजीएस की अनुमानित क्षमताओं की उपरोक्त जानकारी और प्रत्येक राज्य के तत्स्थानी एमडब्ल्यू और एमडब्ल्यूएच हकदारी का अगले दिन के लिए प्रत्येक दिन आर एल डी सी द्वारा अनुपालन किया जाएगा तथा 10 बजे तक सभी फायदाग्राहियों को इसके संबंध में सलाह दी

जाएगी । एस एल डी सी इसका अपने अनुमानित भार पैटर्न और अपनी स्वयं की उत्पादन क्षमता जिसमें द्विपक्षीय आदान प्रदान भी सम्मिलित है, का पुनर्विलोकन करेंगे तथा आर एल डी सी को प्रत्येक के आई एस जी एस के लिए उनकी निकासी अनुसूची के बारे में 3 बजे सायं तक सलाह देंगे जिसमें वे द्विपक्षीय आदान प्रदान, अनुमोदित अल्पकालिक द्विपक्षीय आदान-प्रदान तथा द्विपक्षीय विनिमय के आगे के दिन के लिए निर्बाध पहुंच तथा अनुसूचीकरण हेतु संयुक्त अनुरोध करेंगे ।

5. सामूहिक संव्यवहार का अनुसूचीकरण

(i) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र पावर एक्सचेंजों को इंटरफेसों/ नियंत्रण क्षत्रों/ प्रादेशिक पारेषण प्रणाली की सूची प्रदान करेगा जिसपर एनएलडीसी को पावर एक्सचेंजों द्वारा अबाधित प्रवाहों की सलाह दिए जाने की अपेक्षा की जाती है । पावर एक्सचेंज एनएलडीसी द्वारा यथा सूचित विभिन्न इंटरफेसों/ नियंत्रण क्षेत्रों/ प्रादेशिक पारेषण प्रणाली पर विनिमय को प्रस्तुत करेगा । पावर एक्सचेंज प्रत्येक प्रदेश के कुल निकासी तथा व्यादेश की सूचना भी देंगे । पावर एक्सचेंजों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, एनएलडीसी संकुचन की जांच करेगा । संकुचन की दशा में, एनएलडीसी संकुचन की अवधि तथा अपने-अपने पावर एक्सचेंज के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण हेतु संकुचन की अवधि के दौरान इंटरफेस/नियंत्रण क्षेत्र/पारेषण प्रणाली पर सामूहिक संव्यवहार के अनुसूचीकरण के लिए उपलब्ध सीमा के बारे में एक्सचेंजों को सूचित करेगा । अपने-अपने पावर एक्सचेंज के लिए सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए सीमा के विविआ के निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी । पावर एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण के लिए आवेदन के आधार पर एनएलडीसी विभिन्न आरएलडीसी को अंतिम जांच तथा उन्हें अपनी अनुसूचियों में डालने के लिए ब्यौरे (सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण अनुरोध) भेजेगा । आरएलडीसी द्वारा पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात्, एनएलडीसी पावर एक्सचेंजों को सामूहिक संव्यवहार की अनुसूचीकरण की स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा । आरएलडीसी प्रादेशिक इकाइयों की इनकी अपनी-अपनी सीमाओं पर सामूहिक संव्यवहार की अनुसची करेगा ।

(ii) राज्य उपयोगिताओं/अन्तरराज्यिक इकाइयों के लिए व्यष्टिक संव्यवहारों को अपने-अपने आरएलडीसी द्वारा अनुसूचित किया जाएगा । एनएलडीसी से स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात् पावर एक्सचेंज 6 बजे तक अपने-अपने एसएलडीसी को राज्य के भीतर व्यादेश के प्रत्येक स्थान तथा निकासी के प्रत्येक स्थान का विस्तृत ब्यौरा भेजेंगे । पावर एक्सचेंज संव्यवहारों की अनुसूचीकरण के लिए एसएलडीसी के साथ आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करेंगे ।

(iii) उपरोक्त गतिविधियों के लिए समय-सीमा सीटीयू तथा सरकारी कंपनी या आरएलडीसी और एनएलडीसी को प्रचालित करने वाले प्राधिकरण या निगम द्वारा जारी सामूहिक संव्यवहार की अनुसूची की प्रक्रिया के अनुसार होगी ।

6. एसएलडीसी, आरएलडीसी को स्थायी अनुदेश भी देंगे जिससे कि आरएलडीसी स्वयं राज्यों के लिए बेहत्तर निकासी अनुसूचियों का विनिश्चय कर सके ।

7. प्रत्येक दिन के 6 बजे तक, आरएलडीसी, --

(i) अगले दिन के लिए विभिन्न घंटों हेतु मेगावाट में प्रत्येक आई एस जी एस को एक्स ऊर्जा संयंत्र "प्रेषण अनुसूची" के बारे में बतलाएगा । सभी फायदाग्राहियों द्वारा दी गई एक्स ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची की अंतिम सलाह एक्स ऊर्जा संयंत्र ऊर्जा केन्द्र-वार प्रेषण अनुसूची को बताएगी ।

(ii) अगले दिन के लिए विभिन्न समय ब्लॉकों के लिए मेगावाट में प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए "कुल निकासी अनुसूची" को बताएगा । पारेषण हानियों में कटौती करने के पश्चात् (अनुमानित) सभी आई एस जी एस के लिए स्टेशन वार एक्स-ऊर्जा संयंत्र निकासी अनुसूची तथा द्विपक्षीय अंतर-विनिमय के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रिड की निकासी अनुसूची के बारे में बताएंगे ।

8. हाइड्रो इलैक्ट्रिक उत्पादन केन्द्रों से आशा की जाती है कि वे ग्रिड फ्रिक्वेंसी परिवर्तन तथा प्रवाह उतार-चढाव के बारे में बताएं । अतः, वे दी गई अनुसूची में विचलन से मुक्त होंगे तथा गेमिंग में सम्मिलित नहीं होंगे तथा ग्रिड को बाधित करने के कारण नहीं बनेंगे । जिसके परिणामस्वरूप, संपूर्ण दिन हाइड्रो उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रदाय की कुल वास्तविक ऊर्जा में उस दिन के लिए अनुसूची ऊर्जा (एक्स-बस) से अन्तर नहीं होगा । चौथे दिन (दिन प्लस तीन) के लिए आगे के दिन की अनुसूची में संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तब प्रतिकर दिया जाएगा ।

9. आईएसजीएस द्वारा उत्पादन क्षमता की घोषणा में खिंचाई, पेय जल, औद्योगिक, पर्यावरणीय प्रतिफलों आदि के कारण प्रयुक्त जल पर निबंधनों के कारण विनिर्दिष्ट समय-अवधि, यदि कोई हो, के दौरान उत्पादन पर परिसीमा को भी सम्मिलित किया जाएगा ।

10. संबंधित भार प्रेषण केन्द्र आवधिक रूप से यह जांच करेगा कि उत्पादन केन्द्र वास्तविक रूप से क्षमता तथा ऊर्जा को घोषणा कर रहा है तथा यू आई के माध्यम से अधिक धन कमाने के आशय से घोषणा में छलकपट नहीं कर रहा है ।

11. पूर्णतः नदी से चलने वाले ऊर्जा केन्द्रों के उत्पादन में फेरफआर से केन्द्रों से रिसाव होगा और इन्हें अवश्य चलने वाले केन्द्रों के रूप में माना जाएगा ।

12. तालाब सहित नदी से चलने वाले केन्द्र तथा भंडारण आकार के ऊर्जा केन्द्र प्रणाली पीक मांग को पूरा करने के लिए व्यस्ततम घंटों के दौरान प्रचालित करने हेतु डिजाइन किए जाते हैं । दिन के लिए घोषित केन्द्र की अधिकतम क्षमता संस्थापित क्षमता, जिसमें अधिक भार क्षमता भी है, माइनस गौण खपत तथा पारेषण हानियों, जलाशय स्तर के लिए परिशोधित, के बराबर होगी । प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्रों के ऐसे प्रकार की उत्पादन अनुसूचियों को तैयार किया जाता है तथा केन्द्र विनिर्दिष्ट प्रणाली अपेक्षा/ अवरोधों के सिवाय उपलब्ध हाइड्रो ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेषित करेंगे ।

13. हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा तैयार अनुसूची सामान्यतः ऐसी होगी कि उस दिन के लिए अनुसूचित ऊर्जा अनुमानित/योजनाबद्ध जल उपलब्धता/छोड़े गए

जल के आधार पर उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाघोषित उस दिन पर उपलब्ध होने वाले कुल ऊर्जा (एक्स बस) के बराबर होगी । यह भी आशा की जाती है कि उस दिन को उत्पादन केन्द्र द्वारा वास्तविक रूप से प्रदाय कुल ऊर्जा घोषित कुल ऊर्जा के बराबर होगी । जिससे कि छोड़े गए जल की अपेक्षा पूरी हो सके । 15 मिनटवार के दौरान, अनुसूची से फेरफार को अननुसूचित अन्तर-विनिमय के रूप में माना जाएगा, तथा संपूर्ण दिन के लिए कुल ऊर्जा फेरफार की गणना नीचे दिए गए दृष्टांत के लिए अतिरिक्त रूप से की जाएगी :–

दृष्टांत

— माना सभी एक्स-बस, एम डब्ल्यूएच में दिन-1 के लिए अनुमानित/संभावित कुल ऊर्जा (एक्स-बस) ई-1 है, अनुसूचित ऊर्जा एस 1 है तथा वास्तविक कुल ऊर्जा (मीटरित) ए-1 है । उत्पादन द्वारा यथाघोषित दिन 4 के लिए संभावित ऊर्जा उपलब्धता ई 4 है । तब, दिन 4 के लिए अनुसूची ऐसे निकाली जाएगी कि दिन 4 के लिए अनुसूचित ऊर्जा निम्नलिखित होगी :–

एस 4=ई 4+ (ए1-ई1),

इसी प्रकार, एस 5=ई 4+ (ए2-ई2)

एस6=ई6+ (ए3-ई3)

एस7=ई7+ (ए4-ई4) और उससे आगे ।

14. जब आईएसजीएस के लिए उपरोक्त दैनिक प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रचालनात्मक रूप से युक्तियुक्त है, विशेषकर, अनियंत्रित घटती/बढ़ती दरों तथा अधिकतम तथा न्यूनतम उत्पादन केन्द्रो के बीच अनुपात के अनुसार है । 200 मेगावाट प्रति घंटे की अनियंत्रित दर आईएसजीएस और प्रादेशिक संघटकों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 50 मेगावाट) के लिए साधारतः स्वीकार्य होनी चाहिए सिवाय उन हाइड्रो विद्युत उत्पादन केन्द्रों के जो तीव्र दर पर अनियंत्रित बढ़ती/घटती दर के लिए समर्थ हो सकेंगे ।

15. एसएलडीसी/आईएसजीएस स्टेशन-वार निकासी अनुसूची तथा अनुमानित क्षमताओं, यदि कोई हों, में किए जाने वाले किन्हीं उपांतरणों/ परिवर्तनों के बारे में आर एल डी सी को 10 बजे सायं तक सूचित करेंगे ।

16. उपरोक्त निकासी तथा प्रेषण अनुसूचियों को अंतिम रूप देते समय, आर एल डी सी यह भी जांच करेगा कि ऊर्जा प्रवाह के परिणामस्वरूप किसी पारेषण अवरोधों में वृद्धि नहीं हुई है । यदि किसी अवरोध का पता चलता है तो आर एल डी सी संबंधित संघटकों को सूचना देते हुए अपेक्षित सीमा तक अनुसूचियों को संतुलित करेगी । ऊर्जा की अनुसूचित मात्रा में किसी भी परिवर्तन को, जो बहुत तेजी से होता है या अस्वीकार्य वृहद उपायों में सम्मिलित होता है, आर एल डी सी उपयुक्त रैम्प में सपरिवर्तित कर सकेगा ।

17. विनिमय 6.5 (20) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यूनिट के प्रबलित आउटेज की दशा में, आर एल डी सी पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा । पुनरीक्षित घोषित क्षमता और पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक को जिसमें आईएसजीएस द्वारा पुनरीक्षण किए जाने की एक बार सलाह दी जाती है, गणना में लेते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी ।

18. केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या कोई अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जो उत्पादन में आवश्यक कमी करने के लिए अंतरराज्यिक पारेषण (आर एल डी सी द्वारा यथा प्रमाणित) में अंतर्वलित हों, के स्वामित्वाधीन किसी पारेषण प्रणाली, सहबद्ध स्विचयार्ड और उपकेन्द्रों में किसी अवरोध, आउटेज, असफलता तथा परिसीमा के कारण ऊर्जा के निकास मे अवरोध की दशा में, आर एल डी सी अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा जो ऐसे समय ब्लाक, जिसमें ऊर्जा के निकास में अवरोध पहले बारी उत्पन्न हुए हों, की गणना करते हुए चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगे । और, ऐसे घटना के पहले, दूसरे तथा तीसरे समय ब्लाक के दौरान आईएसजीएस का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा और फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी को उनकी वास्तविक निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित किया गया समझा जाएगा ।

19. किसी ग्रिड बाधा की दशा में, सभी आईएसजीएस का अनुसूचित उत्पादन तथा सभी फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी ग्रिड बाधाओं द्वारा प्रभावित सभी समय ब्लाकों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन/निकासी के बराबर किए जाने के लिए पुनरीक्षित की गई समझी जाएगी। ग्रिड बाधा तथा उसकी अवधि का प्रमाणन आरएलडीसी द्वारा किया जाएगा ।

20. आईएसजीएस (हाइड्रो केंद्रों के सिवाय) द्वारा घोषित क्षमता का पुनरीक्षण तथा दिन की शेष अवधि के लिए फायदाग्रहियों द्वारा अध्यपेक्षा अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात की जाएगी । ऐसे मामालों में पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित क्षमताएं उस समय ब्लाक, जिसमें आरएलडीसी में पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ, को गणना में लेते हुए, छठे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी :

परंतु यह कि हाइड्रो उत्पादन केंद्रों पर आधारित नदी से चलने वाले (आरओआर) तथा तालाब की दशा में, आरएलडीसी केवल एक पुनरीक्षण अनुज्ञात कर सकेगा, यदि पिछली घोषणा की तुलना में दिन के लिए प्रत्याशित ऊर्जा एमडब्ल्यूएच में बहुत बड़ा अंतर हो ।

21. यदि किसी समय बिंदु पर, आरएलडीसी यह संप्रेक्षण करते हैं कि बेहतर प्रणाली प्रचालन के हित में अनुसूचियों का पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है तो वह स्वयं ऐसा कर सकेगा और ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लाक, जिसमें आरएलडीसी द्वारा एक बार अनुसूची को पुनरीक्षित किया गया है, को गणना में लेते हुए, चौथे समय ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी ।

22. तुच्छ पुनरीक्षण को हतोत्साहित करने के लिए आरएलडीसी अपने एकमात्र विवेक से, पूर्व अनुसूची/क्षमता के दो प्रतिशत से अन्यून अनुसूची/क्षमताएं प्रभारों को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा ।

23. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन (दैनिक अनुसूचीकरण) में आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्रिया भी विरचित करेगा ।

24. प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/ पुनरीक्षित उत्पादन अनुसूचियां तथा निकासी अनुसूचियां सफलतापूर्वक सूचना देने के बाबजूद भी निर्दिष्ट समय-ब्लाक से प्रभावी हो जाएंगी ।

25. अनुसूचित उत्पादन के किसी पुनरीक्षण के लिए, जिसमें समझा गया पोस्ट फैक्टो पुनरीक्षण भी सम्मिलित है, फायदाग्राहियों की अनुसूचित निकासी के तत्स्थानी पुनरीक्षण किया जाएगा ।

26. समय-कारक को ध्यान में रखते हुए अनुसूचियों में परिवर्तन के बारे में संसूचना अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा तैयार की जाएगी ।

27. प्रचालन दिन के 24 घंटे की समाप्ति के पश्चात, दिन के दौरान अंतिम रूप से लागू अनुसूची (उत्पादन केन्द्रों को प्रेषण अनुसूची में तथा राज्यों की निकासी अनुसूची में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, आरएलडीसी द्वारा जारी की जाएगी । ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन के आधार पर होंगी । प्रत्येक आईएसजीएस के लिए औसत एक्स-बस क्षमता को आर एल डी सी की सलाह के आधार पर तय किया जाएगा ।

28. पावर एक्सचेंजों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों में सामान्यतः अल्पकालिक द्विपक्षीय संव्यवहारों के पश्चात्वर्ती कटौती की जाएगी ।

29. आरएलडीसी प्रादेशिक इकाइयों की सीमा पर संव्यवहार में कटौती करेंगे । एसएलडीसी कटौती को कार्यान्वित करने के लिए अन्तरा-राज्यिक इकाइयों की आंतरिक कटौती को सम्मिलित करेगा ।

30. आरएलडीसी सभी उपरोक्त जानकारी, अर्थात उत्पादन केन्द्रों द्वारा केन्द्रवार अनुमानित एक्स ऊर्जा संयंत्र क्षमता सलाह, प्रादेशिक इकाईयों द्वारा विवेचित निकासी अनुसूचियों, आर एल डी सी द्वारा जारी सभी अनुसूचियों तथा उपरोक्त के सभी पुनरीक्षणों/अद्यतनों का प्रलेखन करेगा ।

31. आरएलडीसी द्वारा जारी अनुसूचीकरण तथा अंतिम अनुसूचियों की प्रक्रिया किसी जांच/सत्यापन के लिए 5 दिनों के लिए सभी संघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयों हेतु खुली रहेगी । यदि किसी त्रुटि/लोप का पता लगता है तो आरएलडीसी तत्काल उसकी पूरी जांच करेगा तथा उसे दूर करेगा ।

32. आई एस जी एस द्वारा उपलब्धता घोषणा करते समय एक मेगावाट और एक मेगावाट घंटे सभी हकदारियों तथा अध्यपेक्षाओं का प्रस्ताव किया जा सकेगा तथा अनुसूचियों को 0.1 मेगावाट तथा 0.01 एमडब्ल्यूएच के प्रस्ताव के लिए प्रत्येक संव्यवहार के लिए प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र सीमा पर निकटतम दशमलव में पूर्णांकित किया जाएगा ।

15. अध्याय 6, अध्याय 6 में उपाबंध 1, खंड 5 का संशोधन

खंड 5 का चौथा वाक्य निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा,--

'यूआई प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटक तथा अन्य प्रादेशिक इकाइयां आरएलडीसी द्वारा प्रचालित यूआई इकाई पूल खाते में जारी विवरण के 10 (दस) दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय करेंगी, परंतु यह कि आयोग आरएलडीसी से भिन्न किसी भी इकाई को प्रादेशिक यूआई पूल खाते को प्रचालित करने का निदेश दे सकेगा ।'

16. अध्याय 6, अध्याय 6 के उपाबंध 1, खंड 6 का संशोधन

खंड 6 के दूसरे वाक्य को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :--

'इन संदायों को उच्च पूर्विकता देनी होगी तथा संबंधित संघटकों तथा अन्य प्रादेशिक इकाईयों को जारी विवरण के दस दिन के भीतर आरएलडीसी द्वारा प्रादेशिक रिएक्टिव प्रचालित यूआई खाते में उपदर्शित रकम का संदाय करेंगे ।'

17. अध्याय 6, उपाबंध 1 का संशोधन

अध्याय 6 के उपाबंध 1 के पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"12. अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों में अनुसूचीकरण तथा यूआई लेखांकन के लिए इंटरफेस

1. अन्तर-प्रादेशिक एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण, मीटरिंग तथा यूआई लेखांकन के लिए प्रादेशिक सीमाएं :--

- पूर्वी क्षेत्र तथा दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पूर्वी क्षेत्र इंड
- पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का उत्तर-पूर्वी इंड
- दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पश्चिमी क्षेत्र इंड
- उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र के बीच अंतर-प्रादेशिक लिंकों का पश्चिमी क्षेत्र इंड

2. लिंक-वार अनुसूचियों (जहां दो प्रदेशों में एक या उससे अधिक अन्तर-संयोजन है) में अन्तर-प्रादेशिक अनुसूचियों को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा ।

18. अध्याय 6 के उपाबंध 2 का लोप

आईईजीसी के अध्याय 6 के उपाबंध 2 का लोप किया जाएगा ।

19. अध्याय 7 का लोप

आईईजीसी के अध्याय 7 का लोप किया जाएगा ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/2008-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2009

No. L-1(2)/2009-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to further amend the Indian Electricity Grid Code (hereinafter referred to as "the IEGC"), namely :—

1. **Short title and commencement:** (1) These amendments may be called the Indian Electricity Grid Code (Amendment) Regulations, 2009;

(2) These amendments shall come into force on and from 1.4.2009.

2. **Amendment of Chapter 1, clause 1.2**

In Chapter 1, clause 1.2, the second bullet point shall be substituted as under:

"Facilitation of the operation, maintenance, development and planning of economic and reliable National / Regional Grid"

3. **Amendment of Chapter 1, clause 1.4 (v)**

In Chapter 1 clause 1.4 (v) shall be substituted as under:-

"**Scheduling & Despatch Code**

This section deals with the procedure to be adopted for scheduling and despatch of generation of the Inter-State Generating Stations (ISGS) including complementary commercial mechanisms, on a daily basis with the modality of the flow of information between the ISGS, National Load Despatch Centre (NLDC), Regional Load Despatch Centre (RLDC) and the State Load Despatch Centers (SLDCs) and other regional entities."